



आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर
OFFICE OF THE COMMISSIONER CENTRAL G.S.T. & CENTRAL EXCISE, GANDHINAGAR
सीमा-शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, AHMEDABAD-380009
Ph. 079-27542195, Fax: 27543676



व्यापार सूचना स 04/2017/Central Tax

Trade Notice No. 04/2017/ Central Tax

विषय: केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना/ अधिसूचनाओं/ परिपत्र का प्रेषण ।

The following notifications/ Circular issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (CBEC) is enclosed herewith for information and guidance of the trade and field formation. The Notifications are self-explanatory.

इसके साथ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना/ अधिसूचनाओं/ परिपत्र की प्रतियां व्यापारियों व क्षेत्रीय संगठनों एवं संबंधित मंडल कार्यालयों, निर्धारण परिक्षेत्रों, मुख्यालय अनुभागों की जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक उचित कार्यवाही तथा कार्यान्वयन के लिए संलग्न की जाती है।

क्रम	अधिसूचना / परिपत्र सख्या	दिनांक	फ़ा सख्या
1	7/2017-Central Tax	27.06.2017	349/58/2017-GST
2	8/2017-Central Tax	27.06.2017	349/72/2017-GST
3	9/2017-Central Tax	28.06.2017	349/72/2017-GST
4	10/2017-Central Tax	28.06.2017	349/58/2017-GST(Pt)
5	11/2017-Central Tax	28.06.2017	349/72/2017-GST
6	12/2017-Central Tax	28.06.2017	349/72/2017-GST
7	13/2017-Central Tax	28.06.2017	349/72/2017-GST

अधिसूचना/ अधिसूचनाओं/ परिपत्र स्वतः स्पष्ट है।

Notification/ Circular is self-explanatory.

All Trade Associations / Chamber of Commerce and the Members of the RAC / PGC are requested to bring this to the notice of their members / constituents.

सभी व्यापार सघ / वाणिज्य मूण्डल ओर क्षेत्रीय सलाहकार समिति / लोक शिकायत समिति के सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इसे अपने सदस्यों / विनिमाताओं के ध्यान में ला दें।

All JDC/JAC of CGST, GANDHINAGAR are directed to bring this to the notice of all Range officers under their charge.

सभी उप आयुक्त / सहायक आयुक्त को निदेश दिये जाते है कि वे अपने प्रभार के सभी अधीनस्थ परिक्षेत्र अधिकारियों के ध्यान में ला दे।

Ankit Singh
06.07.17

Joint Commissioner
CENTRAL GOODS & SERVICES TAX
GANDHINAGAR

फा.सं. IV/16-21/MP/2017-TN-Pt.-II

दिनांक :04.07.2017

प्रतिलिपि प्रेषित: प्रशासनिक अधिकारी, केउशु, को गांधीनगर, विभागीय डाक सूची के अनुसार इस परिपत्र का परिसंचरण करने के लिए।

Copy to: Administrative Officer (ADM), CGST, H.Q., G'ngr, for circulation of this Circular as per mailing list of Department.

2. The Superintendent, System, H.Q., CGST. Gandhinagar to upload on website.